राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5097/2022

कपिल शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक स्कूल शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), चूरू डिवीजन, चूरू।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Kankreu Kalan, ब्लॉक अलसीसर, जिला झुंझुंनू।
5. विकास कुमार, वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Kankreu Kalan, ब्लॉक अलसीसर, जिला झुंझुंनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.09.2022
आदेश की दिनांक : 10.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अनुराग कुलश्रेष्ठ, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांकरेव कलां, अलसीसर, जिला झुंझुंनू में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डूंगरस अंगुना, जिला चूरू किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.08.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध

कभी कोई शिकायत नहीं रही, फिर भी उसका स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का स्थानान्तरण उसकी रेंज जोधपुर से रेंज चूरू स्थानान्तरित किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1 व 3) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 29.08.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांकरेव कलां, अलसीसर, जिला झुंझुंनू में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस**

बनाम बिहार राज्य (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य